<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अशोक गिरी बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 197 / 2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>25-07-2022</td><td>अपीलार्थी अशोक गिरी, पता 162, स्वामियों का बास, खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.01.2022 में (1) जोधपुर डिपो अधिकार क्षेत्र बिलाड़ा बस स्टेण्ड, कालवी प्याउ, पाली रोड़ स्थित पानी की टंकी के पास वाली बुकिंग, बाड़मेर, जैसलमेर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के पास बस बुकिंग टिकट एजेन्ट के कितने पद है व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 972 दिनांक 11.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर राजस्थान पथ परिवहन निगम, जोधपुर से संबंधित होने से कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत मुख्य प्रबंधक, राजस्थान पथ परिवहन निगम जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 101 दिनांक 20.01.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई।
चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है तथा मुख्य प्रबंधक, राजस्थान पथ परिवहन निगम जोधपुर का अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं होने से यह अपील निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>